

फर्द अहकाम

अज अदालत SDO (नियम 26) मुकाम बडीसादडी
श्रीरामपुरी बनाम श्री मिशनपुरी
 किस्म मुकदमा 53 R.T. Act नं. 81/18 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
30.5.18	<p>राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट <u>मिशनपुरी</u> पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा <u>53</u> आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया कि <u>श्रीरामपुरी के चन्नापुरी एवं मिशनपुरी के चन्नापुरी के मालदार 5121 शुद्धी राजस्व द्वारा करवाता पत्रावली मय</u></p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।</p> <p>अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा <u>पत्रावली 1 शम्भुपुरी चन्नापुरी शुद्धी</u></p> <p style="text-align: center;"><u>90/1 0-21 3-99</u></p> <p style="text-align: center;"><u>2 मिशनपुरी चन्नापुरी शुद्धी</u></p> <p style="text-align: center;"><u>90/1 0-21 3-99</u></p> <p>इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बडीसादडी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>30.5.18</u> <u>(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)</u> <u>RAS</u> <u>अधिकारी लोक अदालत</u></p>	

